

परियोजना का नाम :- जनपद नैनीताल में कालाढूँगी बाजपुर मोटर मार्ग में बोरपुल हनुमान मंदिर के पास से छोटी हल्द्वानी में श्री गणेश दत्त जोशी के खेत तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम:- कालाढूँगी बन्दोबस्ती  
तहसील कालाढूँगी, जिला नैनीताल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद नैनीताल के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में कालाढूँगी बाजपुर मोटर मार्ग में बोरपुल हनुमान मंदिर के पास से छोटी हल्द्वानी में श्री गणेश दत्त जोशी के खेत तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु 0.8888 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.00 हे० सिविल सोयम भूमि 0.00 हे०, वन पंचायत भूमि 0.00 हे०) अर्थात् कुल 0.8888 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कालाढूँगी बन्दोबस्ती द्वारा दिनांक.../13-11-2014 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम छोटी हल्द्वानी (ग्राम पंचायत कालाढूँगी बन्दोबस्ती) के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-

ग्राम सचिव

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी  
ग्राम पंचायत कालाढूँगी बन्दोबस्ती  
वि० ख० कोटाबाग (नैनीताल)

ह०/-

ग्राम प्रधान



प्रमाणित

ग्राम पंचायत कालाढूँगी बन्दोबस्ती  
वि० ख० कोटाबाग (नैनीताल)



दिनांक 13-11-2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम-छोटी हल्द्वानी ग्राम पंचायत-कालाढूंगी बन्दोबस्ती

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर  |
|---------|--------------------------------------------------|------------|
|         | जनादेन पाण्डे श्री हरिप्रसाद                     | मान        |
|         | दीवान बगो गोस्वामी श्री देववर्मा                 | दीवान      |
|         | नारायण जीवरी                                     | नारायण     |
|         | मन्मथ सिंह (1) रं. - माती सिंह                   | मन्मथ सिंह |
|         | मन्मथ पा. लामदे - लखन पामदे                      | मन्मथ      |
|         | मन्मथ सिंह                                       | DARBAR     |
|         | मन्मथ सिंह                                       | मन्मथ      |
|         | प्रकाश ननवाल                                     | प्रकाश     |
|         | जीवन सिंह                                        | जीवन       |
|         | श्रीवर्मा सिंह                                   | श्रीवर्मा  |
|         | प्रकाश पाण्डे                                    | TARKASH    |
|         | लखन सिंह                                         | Lodhi      |
|         | पुष्कर कपूर                                      | Prakash    |
|         | मन्मथ काशी                                       | मन्मथ      |
|         | दिनेश पाण्डे                                     | Deep       |
|         | मन्मथ दल पाण्डे                                  | मान        |
|         | दशरथ पाण्डे                                      | दशरथ       |
|         | दशरथ दल जीवरी                                    | दशरथ दल    |
|         | देवी दल पाण्डे                                   | देवी दल    |
|         | दशरथ दल पाण्डे                                   | दशरथ दल    |
|         | मन्मथ काशी                                       | मन्मथ      |

ह0/-  
ग्राम प्रधान



ग्राम पंचायत, छोटी हल्द्वानी  
दि. 13-11-2014 (बैठक का)



परियोजना का नाम :- जनपद नैनीताल में कालाढूँगी बाजपुर मोटर मार्ग में बोरपुल हनुमान मंदिर के पास से छोटी हल्द्वानी में श्री गणेश दत्त जोशी के खेत तक संपर्क मार्ग का निर्माण।

कार्यालय अपर उप जिलाधिकारी, कालाढूँगी  
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत  
प्रमाण-पत्र  
उपखण्ड स्तरीय समिति, कालाढूँगी

उपखण्ड कालाढूँगी, परिक्षेत्र के अन्तर्गत (0.8888 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.00 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.00 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 0.8888 हे० वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील कालाढूँगी) की दिनांक ~~02/12/2014~~ को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ~~पंकज कुमार उपाध्याय~~, अपर उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री ~~पंकज कुमार उपाध्याय~~ अपर उपजिलाधिकारी कालाढूँगी अध्यक्ष
- 2- श्री ~~जी.एस. कार्की~~ उप प्रभागीय वनाधिकारी-रामनगर वन प्रभाग, रामनगर सदस्य
- 3- श्री ~~बी. ली. जोशी~~ सहायक समाज कल्याण अधिकारी कालाढूँगी सदस्य/सचिव
- 4- श्री ~~लारा ह्यानी~~ बी०डी०सी० क्षेत्र कोटाबाग (कालाढूँगी) सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों को बैठक में स्वागत करते हुए अपर उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि जनपद नैनीताल में कालाढूँगी बाजपुर मोटर मार्ग में बोरपुल हनुमान मंदिर के पास से छोटी हल्द्वानी में श्री गणेश दत्त जोशी के खेत तक संपर्क मार्ग का निर्माण परियोजना हेतु 0.8888 हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा छोटी हल्द्वानी (कालाढूँगी) के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कालाढूंगी परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में कालाढूंगी बाजपुर मोटर मार्ग में बोरपुल हनुमान मंदिर के पास से छोटी हल्द्वानी में श्री गणेश दत्त जोशी के खेत तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु 0.8888 हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

अपर उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील-कालाढूंगी  
जनपद - नैनीताल

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील-कालाढूंगी  
जनपद - नैनीताल



परियोजना का नाम :- जनपद नैनीताल में कालाढूंगी बाजपुर मोटर मार्ग में बोरपुल हनुमान मंदिर के पास से छोटी हल्द्वानी में श्री गणेश दत्त जोशी के खेत तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण।

### जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद-नैनीताल के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित जनपद नैनीताल में कालाढूंगी बाजपुर मोटर मार्ग में बोरपुल हनुमान मंदिर के पास से छोटी हल्द्वानी में श्री गणेश दत्त जोशी के खेत तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण। परियोजना के निर्माण हेतु वन भूमि 0.8888 है० प्रयोक्ता एजेन्सी निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग हल्द्वानी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु अपर उप जिलाधिकारी /अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति कालाढूंगी, (नैनीताल) तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण-पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

  
तहसीलदार  
कालाढूंगी (नैनीताल)

  
अपर उप जिलाधिकारी  
हल्द्वानी,

ह०/-  
जिलाधिकारी

  
जिलाधिकारी  
नैनीताल,

परियोजना का नाम :- जनपद नैनीताल में कालाढूंगी बाजपुर मोटर मार्ग में बोरपुल हनुमान मंदिर के पास से छोटी हल्द्वानी में श्री गणेश दत्त जोशी के खेत तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण।

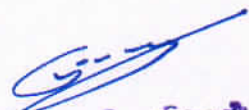
#### जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद नैनीताल में कालाढूंगी बाजपुर मोटर मार्ग में बोरपुल हनुमान मंदिर के पास से छोटी हल्द्वानी में श्री गणेश दत्त जोशी के खेत तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण। परियोजना के निर्माण हेतु 0.8888 है०.वन भूमि (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11-9/98-एफ०सी० दिनांक 05-02-2013 के द्वारा रेखाकार (linear) प्रयोजनों यथा-सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ०एफ०सी० केबिल व पाईपलाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

ह०/-

जिलाधिकारी

  
तहसीलदार  
कालाढूंगी (नैनीताल)

  
अपर उप जिलाधिकारी  
हल्द्वानी.

  
जिलाधिकारी  
नैनीताल.



परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल में कालाढूंगी बाजपुर मोटर मार्ग में बोर पुल हनुमान मन्दिर के पास से छोटी हल्द्वानी में श्री गणेश दत्त जोशी के खेत तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण।

### जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद नैनीताल के अन्तर्गत प्रस्तावित कालाढूंगी बाजपुर मोटर मार्ग में बोर पुल हनुमान मन्दिर के पास से छोटी हल्द्वानी में श्री गणेश दत्त जोशी के खेत तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु 0.8888 है० वन भूमि निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी (नैनीताल) प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या 11-9/98-एफ०सी०, दिनांक 05.02.2013 के द्वारा सड़क निर्माण, नहर निर्माण, पारेषण लाईन, रोपवे, ओ०एफ०सी० केबिल, पाईप लाईन बिछाने आदि प्रयोजनों को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। भारत सरकार के उक्त आदेश के क्रम में प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना विशेष के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Primitive Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

सहायक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०  
हल्द्वानी (नैनीताल)

अधिसूची अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०  
हल्द्वानी (नैनीताल)

जिलाधिकारी  
नैनीताल  
हल्द्वानी

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

79

## FORM - 1

(for Linear projects)

Office of the District Collector - Nainital

No. 515

Dated 27-12-2014

## TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter no 11-9/98 & FC (pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dates 5<sup>th</sup> February 2013 whereing MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.8888 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer, Construction Division, P.W.D. Haldwani, (name of user agency) for Construction of Janpad Nainital me Kaladhundi-Bajpur Motor Marg me Bor pul Hanuman Mandir ke pass se Choti Haldwani me Shri Ganesh Dutt Joshi ke Khat tak Sampark Marg ka Nirman (purpose for diversion of forest land) in Nainital district falls within jurisdiction of Choti Haldwani, Kaladhungi Bandobasti, Jhalwajhala Bandobasti, Jhalwajhala Kham villages in Kaladhungi Tehsil.

It is further certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.8888 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s) Sub-Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to annexure 47.
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it,
- The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribes and pre-agricultural communities.

Encl : As above.

Signature

(Sri Deepak Rawat )  
District Collector, Nainital

जिलाधिकारी  
नैनीताल



प्रारूप - 30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER  
DISTRICT - NAINITAL (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes  
& other Traditional forest Dwellers (recognition of rights ) act (FRA), 2006.

A meeting of the district level committee of Nainital district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Deepak Rawat, I.A.S. deputy commissioner, Nainital on dated 2-12-2014 at time 12.30 ~~Kaladhundi~~ Nainital in which application claiming rights in 8887.50 Sq. Meter /area measuring 0.8888 hect. for the construction of Construction of Janpad Nainital me Kaladhundi-Bajpur Motor Marg me Bor pul Hanuman Mandir ke pass se Choti Haldwani me Shri Ganesh Dutt Joshi ke Khat tak Sampark Marg ka Nirman forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Haldwani sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence district level committees recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place - Nainital

Dated 27-12-2014

Deputy Commissioner cum chairman

District Level Committee

जिलाधिकारी  
नैनीताल